–:प्रेस विज्ञप्तिः–

समाहरणालय, हजारीबाग
(जिला ई–गर्वनेंस सोसाईटी, हजारीबाग)

–: निविदा सूचना :–

हजारीबाग जिले में कुल 267 सीएससी(प्रज्ञा केन्द्र) में साईन बोर्ड एवं रेट लिस्ट लगाने हेतु साईन बोर्ड के बनाने वाले निबंधित, प्रतिष्ठित संस्था से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रय किये जाने वाले साईन बोर्ड का साईज एवं प्रकार निम्नवत हैः–

क्र0	सामग्री का नाम	बोर्ड का साईज	प्रकार	साईन बोड संख्या
1	2	3	4	5
1	प्रज्ञा केन्द्र, डिजीटल सेवा कॉमन सर्विस सेन्टर	4'X3'	ग्लो–साईन बोर्ड	267
2	प्रज्ञा केन्द्र– प्रज्ञा केन्द्र पर उपलब्ध सेवाएँ और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें।	6'X4'	रेट लिस्ट बोर्ड	

साईन बोर्ड का नमूना संलग्न।

निविदा **दिनांक–20/01/2017 को 2:00 बजे अपराह्न** तक जिला ई–गर्वनेंस सोसाईटी के कार्यालय(उपायुक्त कार्यालय) हजारीबाग में प्राप्त की जायगी तथा उसी दिन **4:00 बजे अपराह्न** में उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा के साथ वाणिज्य कर, निबंधन, पैन संख्या, अद्यतन आयकर रिर्टन, स्वच्छता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में **मो0 10000/–(दस हजार)** रूपये का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र **उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला ई–गर्वनेंस सोसाईटी, हजारीबाग** के पदनाम से हजारीबाग में भुगतेय संलग्न करना होगा।
3. दर प्रति साईन बोर्ड (संलग्न नमुना के अनुसार)

(ग) शर्तेः–

1. वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता जिनका नाम किसी अन्य जिला/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, अगर वही व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से नया प्रतिष्ठान बना कर निविदा देगें, तो उसे अमान्य कर दिया जायगा तथा निविदादाता पर नियमानुसार कानुनी कार्रवाई किया जायगा।
2. निविदा मे भाग लेने हेतु साईन बोर्ड का अधिकतम तीन अलग–अलग तरह का नमुना समर्पित किया जा सकता है। निविदादाता अथवा प्रतिष्ठान को साईन बोर्ड की विवरणी एवं नमूना प्रस्तुत करना होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।
3. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायगा।

Scanned by CamScanner

4. निविदा में परिवहन हाथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर संबंधित प्रखण्ड में पहुंचाकर दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता जिला क्रय समिति द्वारा चयनित नमुना के गुणवत्ता के अनुरूप होनी चाहिए।
6. सफल निविदादाता को कार्यादेष निर्गत की तिथि से 25 दिनों के अन्दर साईन बोर्ड की आपूर्ति जिले के सभी प्रज्ञा केन्द्रों में पहुंचाकर करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा।
7. आपूर्ति के उपरान्त संबंधित प्रज्ञा केन्द्र से हस्तप्राप्ति लेकर जिला ई–गर्वनेंस सोसाईटी, हजारीबाग को समर्पित करना होगा।
8. सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

Scanned by CamScanner